[2019] 6 एस. सी. आर 225

अनिल कुमार आनंद

वी.

ग्राहक आयोग (निवारक)

(2018 की सिविल अपील संख्या 3138)

अप्रैल 22,2019

[संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 - धारा 28-सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2007-आर. 3 5, 7 और 9 तक

अपीलार्थी बिजली की सजावटी रोशनी का एक नियमित आयातक था और इस तरह के आयात की प्रक्रिया में मंजूरी के लिए एक प्रविष्टि बिल दायर किया।

बिजली की सजावटी रोशनी-सीमा शुल्क के उद्देश्यों के लिए माल के सही मूल्य का पता लगाने के लिए पूछताछ शुरू की गई थी-यू/एस के तहत एक कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया गया था। 28 अधिनियम के इस आधार पर कि अपीलार्थी ने आयातित वस्तुओं के ब्रांड की घोषणा नहीं की थी और उसने अपने संबंधित पक्ष (मेसर्स) से वस्तुओं का आयात किया था। आई. एल. लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम), और सीमा शुल्क से बचने के इरादे से इसका कम मूल्यांकन किया जिसके परिणामस्वरूप, आर के तहत अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित किया गया था। 7 और आर। 9 नियम-अपीलार्थी

तर्क दिया कि नियमों की योजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सही ढंग से समझा और लागू नहीं किया गया था-आयोजितः भले ही आयात 'दीया' और 'एम अंतरा' ब्रांड नामों के तहत किया गया था, लेकिन वे ऐसी प्रकृति के ट्रेडमार्क नहीं थे जो उन्हें एक विशिष्ट उत्पाद बना दे और ट्रेडमार्क संरक्षण की समझ में कुछ मिश्रण था, क्योंकि इसकी तुलना पेटेंट प्राप्त वस्तुओं से की गई थी।

इसके अलावा, डेटा उपलब्ध था, जिसका उपयोग यूनाइटेड किंगडम से समान वस्तुओं या इसी तरह की वस्तुओं के आयात के लिए मूल्य निर्धारण प्राप्त करने के लिए किया जा सकता था-वैधानिक नियमों के कार्यान्वयन के तरीके में एक मौलिक गलती की गई थी-एक बार वैधानिक नियम मौजूद हैं और क्रमिक कार्यान्वयन के लिए प्रावधान करते हैं, मूल्यांकन प्राधिकरण के पास उन नियमों के अनुसार आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इस तरह से-संबंधित प्राधिकरण ने मामले के तथ्यों में, नियम 3 से 5 को नजरअंदाज करना चुना और 'क्रमिक रूप से' आगे नहीं बढ़ा। (4) आर. 3 यह प्रावधान है कि नियमों का क्रमिक कार्यान्वयन होना चाहिए, यानी कि नियम 3 से 5 को पहले समाप्त करना होगा और केवल नियमों को लागू करने में असमर्थता की स्थिति में मूल्यांकन प्राधिकरण लागू करने के लिए आगे बढ़ेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियम 7 से 9 इसलिए, मामला नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त को वापस भेज दिया जाता है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. वास्तव में, कारण दर्शाओ नोटिस के लिए दो आधार थेः

(क) कि अपीलार्थी ने, जानबूझकर, ब्रांड की घोषणा नहीं की

आयातित वस्तुओं का, और सीमा शुल्क से बचने के इरादे से उनका कम मूल्यांकन किया गया;

(ख) कि अपीलार्थी ने अपने संबंधित पक्ष से ब्रांडेड वस्तुओं का आयात किया था, और सीमा शुल्क से बचने के लिए उनका कम मूल्यांकन किया था।

कर्तव्य। [पैरा 2] [229-सी-डी] 2. नियमों के संदर्भ में, यह अपीलार्थी का निवेदन है कि वर्तमान मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स दर्शाता है कि

स्रोतों। तीन अलग-अलग स्रोतों में से, सक्षम प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यूनाइटेड किंगडम से आयात, मेसर्स से। आई. एल. लिमिटेड, किसी संबंधित पक्ष से आयात के रूप में माने जाने के लिए उत्तरदायी है। हालाँकि अपीलकर्ताओं द्वारा इस पर विवाद करने की मांग की गई है, लेकिन यह मानते हुए भी कि यह सही है, यह तर्क दिया गया कि दो अन्य लोगों से आयात उपलब्ध थे। स्रोत, चीन और स्पेन से। ये आपूर्तिकर्ता संबंधित पक्ष नहीं पाए गए हैं। इस प्रकार, दूरी या किसी अन्य मापदंड के लिए आवश्यक समायोजन के साथ इन दोनों स्रोतों से मूल्य निर्धारण को हमेशा सभी के लिए लेन-देन मूल्य के रूप में लिया जा सकता है।

बीस खेपों का हिस्सा बनने वाली वस्तुएँ। [पैरा 12] [235-जी-एच; 236-ए-बी]

3. अपीलार्थियों की ओर से दूसरे पहलू, यानी ब्रांड की गैर-घोषणा के संबंध में एक और स्पष्टीकरण दिया गया है। ' विचाराधीन खेपों से संबंधित 'दीया' और 'एम अंतरा' यह था कि ब्रांड इतने प्रसिद्ध नहीं थे कि मूल्य में बदलाव ला सकें। वास्तव में, चीन से आयात के लिए, ब्रांड 'दीया' का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। भौतिक सत्यापन के बाद खेपों को मंजूरी दे दी गई थी। वास्तव में, दलील यह थी कि दोनों ब्रांड वास्तव में किसी भी आंतरिक बाजार मूल्य को आकर्षित नहीं करते हैं। [पैरा 13] [236-सी] अनिल कुमार आनंद बनाम।

ग्राहक आयोग (निवारक)

4. यह एक निवेदन है कि नियमों के क्रमिक अनुप्रयोग के लिए, बाद के नियमों पर आगे बढ़ने से पहले, नियम 3 से 5 के अनुसार मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है।

ब्रांड नाम 'दीया' और 'एम अंतरा', वे ऐसी प्रकृति के ट्रेडमार्क नहीं थे जो उन्हें एक विशिष्ट उत्पाद बना दे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि ट्रेडमार्क संरक्षण की समझ में कुछ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि इसकी तुलना इसके साथ की गई है। ' पेटेंट किए गए सामान '। इस प्रकार, डेटा निश्चित रूप से उपलब्ध था, जिसका उपयोग यू. के. से समान वस्तुओं या समान वस्तुओं के आयात के लिए मूल्य निर्धारण प्राप्त करने के लिए किया जा सकता था। [पैरा 18] [237-ए-बी]

6. विडंबना यह है कि यदि सक्षम प्राधिकारी सोचता है कि ये ऐसी वस्तुएँ हैं जहाँ ट्रेडमार्क का महत्व है, तो यह हो सकता है

एक साथ आयात को नजरअंदाज नहीं किया है

ट्रेडमार्क, विभिन्न देशों से, जहां कोई संबंधित पक्ष नहीं थे। स्वाभाविक रूप से, जिस दूरी से आयात किया गया था, या खेप के आकार के लिए समायोजन करना होगा, यदि लागू हो, जैसा कि नियम 3 से 5 में निर्धारित किया गया है। वहाँ था।

वास्तव में नियम 7 से 9 पर भरोसा करके लेन-देन मूल्य निर्धारित करने के लिए तुरंत आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्रमिक अनुप्रयोग का यह सिद्धांत लागू होगा, विशेष रूप से नियम 3 के उप-नियम (4) को ध्यान में रखते हुए, जिसमें प्रावधान है कि नियमों का क्रमिक कार्यान्वयन होना चाहिए, अर्थात नियम 3 -

5 पहले समाप्त करना होगा, और केवल नियमों को लागू करने में असमर्थता की स्थिति में मूल्यांकन प्राधिकरण होगा

नियम 7 से 9 लागू करने के लिए आगे बढ़ें। [पैरा 19] [237-सी-ई]

7. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि दोनों, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त (निवारक) का आदेश,

क्यूएनएस, नई दिल्ली, दिनांक 30.3.2017, के साथ-साथ सीईएसटीएटी का आदेश, दिनांक 6.11.2017, अलग किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, और मामला नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त (निवारक) को वापस भेजा जाता है और इस प्रकार, यह नियम 3 से 5 है जो [2019] 6 एस. सी. आर.

इसे पहले लागू करना होगा, क्योंकि यह नियमों को "क्रमिक रूप से" लागू करने के लिए प्रदान किया गया है। [पैरा 22] [238-एफ-जी]

सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे बनाम। स्वास्टिक वूलेंस (पी) लिमिटेड & अन्य 1988 पूरक। एस. सी. सी. 796-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

1988 पूरक। एस. सी. सी. 796

पै

रा 20

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3138

2018 से।

निर्णय और अंतिम आदेश सं. 57650/2017 दिनांक से

06.11.2017 2017 की सीमा शुल्क अपील संख्या 51117 में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

सिविल अपील सं। 3139 , 3140 2018 से। वी. लक्ष्मीकुमारन, एल. चरण्या, आदित्य भट्टाचार्य, मनीष

रस्तोगी, विक्टर दास, सुश्री अपेक्षा मेहता, पुनीत दत्त त्यागी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

के. राधाकृष्ण, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री अरुणा गुप्ता, सुश्री स्वाति घिल्डियाल

(श्री बी. कृष्ण प्रसाद के लिए), अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था संजय किशन कौल, जे।

1. सीए No.3140/2018, मेसर्स में अपीलार्थी। दीया मंत्र प्रज्वलन

सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त का दिनांकित 30.3.2017 आदेश (निवारक), नई दिल्ली के साथ-साथ सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'सी. ई. एस. टी. ए. टी.') दिनांक 6.11.2017 के आदेश में अपील को खारिज करते हुए और मूल प्राधिकरण के आदेश को कायम रखते हुए, दिसंबर, 2012 से जनवरी, 2015 की अवधि के लिए अपीलार्थी की 21 नंबर की आयात खेप का पुनर्मूल्यांकन किया गया।

2. अपीलार्थी को बिजली का नियमित आयातक कहा जाता है।

सजावटी रोशनी, और इस तरह के आयात की प्रक्रिया में, विद्युत सजावटी रोशनी की निकासी के लिए आई. सी. डी., तुगलकाबाद, नई दिल्ली में 21.1.2015 पर प्रविष्टि का बिल दाखिल किया। ये आयात खेप अनिल कुमार आनंद बनाम की थीं।

ग्राहक आयुक्त (निवारक) [संजय किशन कौल, जे.]

ब्रांड नाम 'दीया' और 'एम अंतरा', और जांच यह पता लगाने के लिए आगे बढ़ी कि क्या उद्देश्यों के लिए माल का सही मूल्य निर्धारित किया गया था सीमा शुल्क। जाँच के पूरा होने पर, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (इसके बाद 'उक्त अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत माल की जब्ती और जुर्माना लगाने के प्रस्ताव के अलावा, उपरोक्त खिड़की के भीतर वर्तमान आयात खेप के साथ-साथ पिछली खेपों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई थी। उक्त अधिनियम की धारा 28 के तहत एक कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें किसी भी कारण से नहीं लगाए गए या कम समय के लिए लगाए गए या गलती से वापस किए गए शुल्कों की वसूली का प्रावधान किया गया था।

मिलीभगत या किसी भी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों के दमन के अलावा। वास्तव में, कारण बताएँ नोटिस के लिए वास्तव में दो आधार थेः

(क) कि अपीलार्थी ने, जानबूझकर, आयातित वस्तुओं के ब्रांड की घोषणा नहीं की, और इसके इरादे से इसका कम मूल्यांकन कियाः

सीमा शुल्क से बचना;

(ख) कि अपीलार्थी ने अपने संबंधित पक्ष से ब्रांडेड वस्तुओं का आयात किया था, और सीमा शुल्क से बचने के लिए उनका कम मूल्यांकन किया था।

कर्तव्य।

3. उपरोक्त कार्यवाहियों, जैसा कि देखा गया है, के परिणामस्वरूप अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ एक प्रतिकूल आदेश दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 500 करोड़ रुपये का अंतर शुल्क लगाया गया। विचाराधीन खेप के लिए 9 लाख 53 हजार और लगभग रु। पिछली खेपों के लिए 1.23 करोड़ रुपये। माल को ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था, और रुपये के शुल्क के साथ मोचन जुर्माने के भुगतान पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। 13 अपीलार्थी के निदेशकों (सीए No.3138/2018 और सीए में अपीलार्थी) पर लाखों का जुर्माना लगाया गया है। No.3139/2018)। आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि माल का मूल्यांकन सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2007 (इसके बाद 'उक्त नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 7 और नियम 9 के तहत किया गया था। यह मूल्यांकन की वही विधि है जिस पर अपीलकर्ताओं द्वारा इस तर्क पर हमला करने की कोशिश की जाती है कि नियमों की योजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सही ढंग से समझा और लागू नहीं किया गया है। के विवाद की सराहना करने के लिए

अपीलार्थी नियमों के संदर्भ में, हम नियमों की योजना पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। 4. पहले नियम 2 के तहत परिभाषा खंडों का उल्लेख करना उचित है, जहां 'समान वस्तु' और 'समान वस्तु' अभिव्यक्तियों को नीचे परिभाषित किया गया हैः

" 2. परिभाषाएँ। (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, -

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

((घ) "समान वस्तु" से आयातित वस्तु अभिप्रेत है - (i) जो सभी मामलों में समान हैं, जिसमें भौतिक विशेषताएँ, गुणवत्ता और मूल्य के रूप में माल की प्रतिष्ठा शामिल है, सिवाय रूप में मामूली अंतर के जो माल के मूल्य को प्रभावित नहीं करते हैं;

((ख) उस देश में उत्पादित किया गया जिसमें मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन किया गया था; और

(iii) उसी व्यक्ति द्वारा उत्पादित, जिसने माल का उत्पादन किया, या जहां ऐसी कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तुएं, लेकिन इसमें आयातित वस्तुएं शामिल नहीं होंगी, जहां भारत में इंजीनियरिंग, विकास कार्य, कला कार्य, डिजाइन कार्य, योजना या रेखाचित्र खरीदार द्वारा इन आयातित वस्तुओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुफ्त में या इन आयातित वस्तुओं के निर्यात के लिए उत्पादन और बिक्री के संबंध में उपयोग के लिए कम लागत पर पूरा किया गया था।

.....

" 2. परिभाषाएँ। (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, -

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

(च) "समान वस्तु" का अर्थ है आयातित वस्तु -

(i) हालांकि सभी मामलों में समान नहीं हैं, लेकिन समान विशेषताएँ और समान घटक सामग्री हैं जो उन्हें समान कार्य करने में सक्षम बनाती हैं और गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और व्यापार चिह्न के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए मूल्यवान वस्तुओं के साथ व्यावसायिक रूप से विनिमेय होने में सक्षम बनाती हैं।

((ख) उस देश में उत्पादित किया गया जिसमें मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन किया गया था; और

((ग) उसी व्यक्ति द्वारा उत्पादित किया गया है जिसने मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन किया है, या जहां ऐसी कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तुएं, लेकिन इसमें आयातित वस्तुएं शामिल नहीं होंगी जहां इंजीनियरिंग, विकास कार्य, कला कार्य, डिजाइन कार्य, योजना या शून्य कुमार आनंद v.

ग्राहक आयुक्त (निवारक) [संजय किशन कौल, जे.]

भारत में किए गए रेखाचित्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरे किए गए थे।

इन आयातित वस्तुओं पर खरीदार द्वारा निःशुल्क या उत्पादन और बिक्री के संबंध में उपयोग के लिए कम लागत

इन आयातित वस्तुओं के निर्यात के लिए;

5. नियम 3 में आयातित वस्तुओं के मूल्य का उल्लेख किया गया है -

नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार समायोजित कार्रवाई मूल्य।

जहाँ खरीदार और विक्रेता संबंधित हैं, जैसा कि वर्तमान में आरोप लगाया गया है

लेन-देन मूल्य स्वीकार किया जा सकता है यदि संबंध नहीं था

कीमत तय करें। हम प्रासंगिक उद्धरणों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करते हैं:

" 3. मूल्यांकन की विधि का निर्धारण।

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

(3) (क) जहां खरीदार और विक्रेता संबंधित हैं, लेनदेन

मूल्य स्वीकार किया जाएगा बशर्ते कि की परीक्षा

आयातित वस्तुओं की बिक्री की परिस्थितियाँ इंगित करती हैं कि

संबंध ने कीमत को प्रभावित नहीं किया,

(ख) संबंधित व्यक्तियों के बीच बिक्री में, लेन-देन मूल्य होगा

स्वीकार किया जाएगा, जब भी आयातक प्रदर्शित करता है कि

((i) समान वस्तुओं या समान वस्तुओं का लेन-देन मूल्य भारत में असंबंधित खरीदारों को बिक्री;

((ग) समान वस्तुओं या समान वस्तुओं के लिए संगणित मूल्यः बशर्ते कि तुलना के लिए उपयोग किए गए मूल्यों को लागू करने में, देय

वाणिज्यिक में प्रदर्शित अंतर को ध्यान में रखा जाएगा। स्तर, मात्रा स्तर, के अनुसार समायोजन

नियम 10 के प्रावधान और बिक्री में विक्रेता द्वारा की गई लागत

जो वह और खरीदार संबंधित नहीं हैं;

(ग) प्रावधानों के तहत प्रतिस्थापन मूल्य स्थापित नहीं किए जाएंगे।

इस उप-नियम के खंड (ख) का।

(4) यदि मूल्य उप के प्रावधानों के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है

नियम (1) के अनुसार मूल्य का निर्धारण क्रमिक रूप से किया जाएगा।

नियम 4 से 9 "के माध्यम से

(जोर दिया गया)

6. अतः यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नियम 3 (4) स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि

नियम 4 से 9 का क्रम "क्रमिक रूप से" संचालित करना है।

7. नियम 4 समान वस्तुओं के लेन-देन मूल्य से संबंधित है, जो नीचे दिया गया हैः

" 4. समान वस्तुओं का लेनदेन मूल्य। -

(1) (क) नियम 3 के प्रावधानों के अधीन, आयातित वस्तुओं का मूल्य समान वस्तुओं के लिए बेचे गए लेनदेन मूल्य होगा।

भारत को निर्यात और उसी समय या लगभग उसी समय आयात किया जाता है जब

माल का मूल्यांकन किया जा रहा है;

बशर्ते कि ऐसा लेन-देन मूल्य का मूल्य नहीं होगा

मात्रा या दोनों का उपयोग किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसे समायोजन प्रदर्शित साक्ष्य के आधार पर किए जाएंगे जो स्पष्ट रूप से समायोजन की तर्कसंगतता और सटीकता को स्थापित करते हैं, क्या इस तरह के समायोजन में वृद्धि या कमी होती है

मूल्य।

(3) इस नियम को लागू करने में, यदि समान वस्तुओं का एक से अधिक लेनदेन मूल्य पाया जाता है, तो आयातित वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित करने के लिए सबसे कम ऐसे मूल्य का उपयोग किया जाएगा।
8. उपरोक्त नियम में यह परिकल्पना की गई है कि लेन-देन का मूल्य

आयातित माल उसी समय हो सकता है जब माल का मूल्य निर्धारित किया जाता है, वह अनिल कुमार आनंद बनाम हो सकता है।

ग्राहक आयुक्त (निवारक) [संजय किशन कौल, जे.]

आवेदन किया। बेशक, यह स्पष्ट किया जाता है कि वे काफी हद तक एक ही मात्रा के होने चाहिए, क्योंकि खेप के आकार के आधार पर मूल्य निर्धारण में भिन्नता हो सकती है। यदि बेचे गए समान सामान संबंध में नहीं पाए जाते हैं

समान मात्रा में, समान वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं को ध्यान में रखा जा सकता है, जिसमें प्रदर्शित साक्ष्य के आधार पर समायोजन किया जा सकता है।

जो स्पष्ट रूप से समायोजन की तर्कसंगतता और सटीकता को स्थापित करता है। दूरी में अंतर, जिसका परिवहन लागत पर प्रभाव पड़ता है, नियमों के तहत उल्लिखित एक अन्य कारक है। अंत में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह के न्यूनतम मूल्य का उपयोग माल का मूल्य निर्धारित करने के लिए किया जाना है।

9. समान वस्तुएँ उपलब्ध नहीं होने पर, हमें नियम 5 की ओर रुख करना होगा, जो समान वस्तुओं का लेन-देन मूल्य है। नियम 5 इस प्रकार हैः

" 5. समान वस्तुओं का लेनदेन मूल्य।

(1) नियम 3 के प्रावधानों के अधीन, आयातित वस्तुओं का मूल्य निर्यात के लिए बेचे गए समान वस्तुओं का लेनदेन मूल्य होगा।

भारत और आयात उसी समय या लगभग उसी समय किया जाता है जब माल

मूल्यवान हैः

बशर्ते कि ऐसा लेन-देन मूल्य सीमा शुल्क की धारा 18 के तहत अस्थायी रूप से मूल्यांकन किए गए माल का मूल्य नहीं होगा।

अधिनियम, 1962।

(2) नियम 4 के उप-नियम (1), उप-नियम (2) और उप-नियम (3) के खंड (बी) और (सी) के प्रावधान समान वस्तुओं के संबंध में भी लागू होंगे।

10. यदि नियम 3 से 5 के तहत निर्धारण संभव नहीं है, तो निर्धारण नियम 7 के प्रावधानों के तहत किया जाना चाहिए या

नियम 6 के अनुसार नियम 8 में प्रावधान किया गया है कि आयातक के अनुरोध पर नियम 7 और 8 के आवेदन के आदेश को उलट दिया जा सकता है। नियम 7 कटौती मूल्य को संदर्भित करता है, जबकि नियम 8 संगणित मूल्य को संदर्भित करता है। नियम 7 और नियम 8 के प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैंः

" 7. कटौती मूल्य।

(1) नियम 3 के प्रावधानों के अधीन, यदि माल का मूल्य या समान या समान आयातित माल भारत में बेचा जाता है, तो

आयातित स्थिति उस समय या उसके आसपास जिस पर मूल्य निर्धारण के लिए घोषणा प्रस्तुत की जाती है, का मूल्य

आयातित माल उस इकाई मूल्य पर आधारित होगा जिस पर

आयातित सामान या समान या समान आयातित सामान [2019] 6 एस. सी. आर. में बेचे जाते हैं।

उन व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ी कुल मात्रा जो संबंधित नहीं हैं

भारत में विक्रेताओं के लिए, निम्नलिखित कटौती के अधीनः -

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

(2) यदि न तो आयातित माल और न ही समान और न ही समान आयातित

वस्तुओं को आयात के समय या लगभग उसी समय बेचा जाता है।

माल का मूल्यांकन किया जा रहा है, आयातित माल का मूल्य, विषय होगा

अन्यथा उप-नियम (1) के प्रावधानों के लिए, इकाई पर आधारित हो

वह मूल्य जिस पर आयातित माल या समान या समान आयात किया जाता है

भारत में माल आयात के बाद जल्द से जल्द बेचा जाता है, लेकिन

इस तरह के आयात के बाद नब्बे दिनों की समाप्ति से पहले।

(3) (क) यदि न तो आयातित माल न समान है और न ही समान है।

आयातित वस्तुओं को भारत में आयातित स्थिति में बेचा जाता है।

तब, मूल्य उस इकाई मूल्य पर आधारित होगा जिस पर

आयातित माल, आगे के प्रसंस्करण के बाद, सबसे अधिक बेचे जाते हैं। उन व्यक्तियों के लिए कुल राशि जो विक्रेता से संबंधित नहीं हैं

भारत में। (ख) इस तरह के निर्धारण में, के लिए उचित भत्ता दिया जाएगा

प्रसंस्करण द्वारा जोड़ा गया मूल्य और इन के लिए प्रदान की गई कटौती

उप-नियम (1) की मदें (i) से (iii) तक। " 8. संगणित मूल्य।

नियम 3 के प्रावधानों के अधीन, आयातित वस्तुओं का मूल्य एक संगणित मूल्य पर आधारित होगा, जिसमें शामिल होंगे

का योगः

(ए) सामग्री और निर्माण या अन्य की लागत या मूल्य आयातित वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त प्रसंस्करण;

समान वर्ग या प्रकार की वस्तुओं की बिक्री में परिलक्षित होता है देश में उत्पादकों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।

भारत को निर्यात के लिए निर्यात;

(ग) के उप-नियम (2) के तहत अन्य सभी खर्चों की लागत या मूल्य

नियम 10 "।

11. नियमों के संदर्भ को पूरा करने के लिए, उनके लिए

हालाँकि, हम नियम 9 का भी उल्लेख करते हैं, जो नीचे दिया गया है:

नील कुमार आनंद बनाम। ग्राहक आयोग (निवारक) [संजय किशन कौल, जे.]

" 9. अवशिष्ट विधि।

(1) नियम 3 के प्रावधानों के अधीन, जहां आयातित वस्तुओं का मूल्य किसी भी प्रावधान के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है

पूर्ववर्ती नियमों में इन नियमों के सिद्धांतों और सामान्य प्रावधानों के अनुरूप और भारत में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर उचित साधनों का उपयोग करके मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते कि इस प्रकार निर्धारित मूल्य उस मूल्य से अधिक नहीं होगा जिस पर ऐसी या ऐसी वस्तुओं को आम तौर पर बेचा जाता है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान आयात के समय और स्थान पर वितरण के लिए बिक्री के लिए पेश किया जाता है, जब विक्रेता या खरीदार की अन्य के व्यवसाय में कोई रुचि नहीं होती है और बिक्री या वितरण के लिए मूल्य ही एकमात्र प्रतिफल है।

बिक्री के लिए प्रस्ताव।

(2) इस नियम के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित के आधार पर कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जाएगाः

((i) भारत में उत्पादित वस्तुओं का भारत में विक्रय मूल्य; ((ii) एक प्रणाली जो रीति-रिवाजों को स्वीकार करने का प्रावधान करती है।

दो वैकल्पिक मूल्यों में से उच्चतम के उद्देश्य;

((iii) देश के घरेलू बाजार में माल की कीमत।

निर्यात;

((iv) संगणित मूल्यों के अलावा उत्पादन की लागत जो समान या समान वस्तुओं के लिए निर्धारित की गई है -

नियम 8 के प्रावधान;

(v) भारत के अलावा किसी अन्य देश को निर्यात के लिए माल की कीमत; ((vi) न्यूनतम सीमा शुल्क मूल्य; या

((vii) मनमाने या काल्पनिक मूल्य।

12. उपरोक्त के संदर्भ में, यह अपीलार्थी के लिए सीखा गया स्वयं का प्रस्तुतिकरण है कि वर्तमान मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि 21 खेपें (सीधे आयन में एक सहित) एक स्रोत से नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग स्रोतों से आयात की गई थीं। तीन अलग-अलग स्रोतों में से, सक्षम प्राधिकारी इस बात पर आया कि यूनाइटेड किंगडम से एम/एस से आयात किया जाता है। इंस्पायर्डिंग लिमिटेड, किसी संबंधित पक्ष से आयात के रूप में माने जाने के लिए उत्तरदायी है।

हालाँकि अपीलकर्ताओं द्वारा इस पर विवाद करने की कोशिश की गई है, लेकिन यह मानते हुए भी कि यह सही है, यह तर्क दिया गया कि चीन और स्पेन से दो अन्य स्रोतों से आयात उपलब्ध थे। ये आपूर्तिकर्ता संबंधित पक्ष नहीं पाए गए हैं। इस प्रकार, इन दो स्रोतों से मूल्य निर्धारण,

दूरी या किसी अन्य मापदंड के लिए आवश्यक समायोजन के साथ, हमेशा उन सभी वस्तुओं के लिए लेन-देन मूल्य के रूप में लिया जा सकता है जो 21 खेपों का हिस्सा हैं।

13. अपीलार्थियों की ओर से दूसरे पहलू, यानी ब्रांड 'दीया' की गैर-घोषणा के संबंध में एक और स्पष्टीकरण दिया गया है। और 'mAntra', विचाराधीन खेपों से संबंधित, यह था कि ब्रांड इतने अच्छे से ज्ञात नहीं थे कि वे मूल्य में अंतर लाने के लिए थे। वास्तव में, चीन से आयात के लिए, ब्रांड 'दीया' का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। भौतिक सत्यापन के बाद खेपों को मंजूरी दे दी गई थी। वास्तव में, दलील यह थी कि दोनों ब्रांड वास्तव में किसी भी आंतरिक बाजार मूल्य को आकर्षित नहीं करते हैं।

14. यह एक निवेदन है कि नियमों का क्रमिक अनुप्रयोग, इस प्रकार,

बाद के नियमों पर आगे बढ़ने से पहले, नियम 3 से 5 के अनुसार मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता थी, और यह ऐसा मामला नहीं है जहां नियम 3 से 5 के तहत मूल्यांकन संभव नहीं था। 15. एक वैकल्पिक प्रस्तुति के रूप में, यह भी अनुरोध किया गया कि जहां समान या समान सामान उपलब्ध नहीं हैं, वहां भी राष्ट्रीय आयात डेटाबेस ('एन. आई. डी. बी.') या मूल्यांकन विभाग डेटाबेस ('डी. ओ. वी.') में माल के मूल्य का डेटा उपलब्ध है।

16. संक्षेप में, प्रस्तुतिकरण वास्तव में यह है कि मूल्यांकन अन्य दो देशों से आयात के आधार पर संभव था यदि ब्रांड

इसे कुछ महत्व दिया जाना था, और वैकल्पिक रूप से, यदि याचिका स्वीकार की जाती थी कि ब्रांड का कोई महत्व नहीं था, तो यू. के. से इसी तरह की रोशनी के अन्य आयातों को ध्यान में रखा जा सकता था। यह स्पष्ट किया गया कि प्रयास संतरे की तुलना करने का नहीं था और

सेब, लेकिन एक ही किस्म के सेब के साथ एक विशेष किस्म के सेब की तुलना करने के लिए, यानी, यदि यह एक दीपक प्रकाश था, तो इसकी तुलना एक दीपक प्रकाश से की जानी थी। इस संबंध में आंकड़े उपलब्ध थे।

17. हम देख सकते हैं कि कुछ अन्य याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें सीमा की याचिका भी शामिल थी, लेकिन हम जिस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, उसके कारण यह पुनर्निर्धारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद।

19. विडंबना यह है कि यदि सक्षम प्राधिकारी ने सोचा कि ये ऐसी वस्तुएँ हैं जहाँ ट्रेडमार्क का महत्व है, तो वह ऐसा नहीं कर सकता था। साथ ही एक ही ट्रेडमार्क के तहत विभिन्न देशों से आयात को नजरअंदाज कर दिया है, जहां कोई संबंधित पक्ष नहीं थे। स्वाभाविक रूप से, जिस दूरी से आयात किया गया था, या माल के आकार के लिए समायोजन करना होगा, यदि लागू हो, जैसा कि नियम 3 से 5 में निर्धारित किया गया है। वास्तव में तुरंत आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं था

नियम 7 से 9 पर भरोसा करके लेन-देन मूल्य निर्धारित करना। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्रमिक अनुप्रयोग का यह सिद्धांत लागू होगा, विशेष रूप से नियम 3 के उप-नियम (4) को देखते हुए, जिसमें यह प्रावधान है कि नियमों का क्रमिक कार्यान्वयन होना चाहिए, यानी कि नियम 3 से 5 को पहले समाप्त करना होगा, और केवल नियमों को लागू करने में असमर्थता की स्थिति में ही मूल्यांकन प्राधिकरण नियम 7 से 9 को लागू करने के लिए आगे बढ़ेगा।

20. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने मनाने का प्रयास किया

यह कहते हुए कि चूंकि समवर्ती निष्कर्ष थे, इस न्यायालय को धारा के तहत इस न्यायालय के समक्ष अपील की गुंजाइश को देखते हुए हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए 130 उक्त अधिनियम का ई (बी), और सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे बनाम में निर्णय को संदर्भित किया। स्वास्टिक वूलेंस (पी) लिमिटेड और अन्य 1, जहां इसे निम्नानुसार देखा गयाः

" 9. ..... तथ्य के ऐसे प्रश्न का निर्णय सामग्री और प्रासंगिक तथ्यों की अनदेखी किए बिना और सही कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखे बिना किया जाना चाहिए। इन मापदंडों को देखते हुए इस मामले में न्यायाधिकरण का निष्कर्ष अनुपलब्ध है। हालाँकि, हमारा विचार है कि यदि कोई तथ्य खोजने वाला प्राधिकरण उपरोक्त मापदंडों के भीतर ईमानदारी और ईमानदारी से किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है, तो यह तथ्य कि कोई अन्य प्राधिकरण, चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, उस प्रश्न के बारे में एक अलग दृष्टिकोण रख सकता है, हमारी राय में, नहीं है।

1 1988 पूरक।

निर्धारण के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्य तक। इस न्यायालय को यह देखने के लिए एक अपील प्रदान की गई है कि अधीनस्थ न्यायाधिकरण कानून के भीतर कार्य करते हैं। केवल इसलिए कि एक सक्षम अदालत द्वारा एक और दृष्टिकोण संभव हो सकता है, इसके तहत हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। अधिनियम की धारा 130-ई हालांकि सीमा शुल्क की दर या मूल्यांकन के उद्देश्यों के लिए माल के मूल्य के संबंध में, अपील का आयाम असीमित है। लेकिन चूंकि अधिकार क्षेत्र असीमित है, इसलिए ऐसी अपीलों में अंतर्निहित सीमाएं लगाई गई हैं। न्यायाधिकरण सही सिद्धांत के मार्ग से विचलित नहीं हुआ है और सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार किया है। यदि न्यायाधिकरण ने एक बोलने वाले आदेश द्वारा प्राकृतिक न्याय के साथ ईमानदारी से काम किया है, तो हमारी राय में, भले ही उच्च न्यायालय को लगता है कि एक और दृष्टिकोण संभव है, यह अधिनियम की धारा 130-ई के खंड (बी) के तहत शक्ति के प्रयोग में उस दृष्टिकोण के प्रतिस्थापन के लिए कोई आधार नहीं है।

21. हालाँकि, हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरीके से एक मौलिक गलती की गई है

22. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि दोनों, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त (निवारक), सीमा शुल्क, नए दिल्ली, दिनांक आई. डी. 2, के साथ-साथ सी. ई. एस. टी. ए. टी. का आदेश, दिनांक आई. डी. 1, अलग किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, और यह मामला सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त (निवारक), सीमा शुल्क, नई दिल्ली को वापस भेजा जाता है, ताकि हमारी टिप्पणियों के अनुसार मामले को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सके, और इस प्रकार, यह नियम 3 से 5 है जिसे पहले लागू करना होगा, क्योंकि यह नियमों को "क्रमिक रूप से" लागू करने के लिए प्रदान किया गया है।

23. हम यह स्पष्ट करते हैं कि चूंकि हम अन्य दलीलों में नहीं गए हैं

अपीलार्थी द्वारा उठाई जाने वाली सभी दलीलें अनिल कुमार आनंद बनाम द्वारा उठाई जा सकती हैं।

ग्राहक आयुक्त (निवारक) [संजय किशन कौल, जे.]

24. तदनुसार अपीलों की अनुमति दी जाती है, जिससे पक्षकारों को अपना खर्च वहन करना पड़ता है।
अंकित ज्ञान